न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 114/2026

नागेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड सं0 03/2026

अंतर्गत धारा 64, 115(2), 351(2) बी. एन. एस. ।

12.03.2026

दिनांक 07.01.2026 से कारावासित अभियुक्त **नागेन्द्र कुमार** की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार तथा सूचिका की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद सिंह का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका का आज से करीब दो साल पूर्व बिहारशरीफ में नागेन्द्र कुमार से मुलाकात हुई और बातचीत करने के क्रम में उसका मोबाईल नम्बर ले लिया और हमेशा बातचीत करने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे पंसद हो मैं तुमसे शादी करूगां । बहला फुसलाकर काफी विश्वास दिलाया कि मैं जीवन भर पत्नी बनाकर रखेंगे और बोला कि मैं बहुत बड़ा कंपनी में काम करता हूं मुझे रुपये पैसों की कमी नहीं है । इतना कह कर वह मुझे दिल्ली लेकर चला गया । वहां मुझे रखा और मरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का बहुत कोशिश करने लगा । तब वह मना की और बोली कि तुम मुझसे जब तक शादी नहीं करोंगे तब तक शरीरिक संबंध बनाने नहीं दूंगी और वह किसी तरह बहुत जोर जबरदस्ती करते हुए मेरे साथ कई बार सबंध बनाना चाहा । उसके बाद वह वहां से घर लाया और अपने घर में रखा । तीन माह रखने के बाद उसे घर से निकाल दिया और बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा । इसलिए दिनांक 20.12.2025 को मैं उसके घर गई तो उसकी मां मीना देवी मेरे साथ गाली–गलौज एवं मारपीट कर घर से निकाल दी ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । सूचिका एक अनपढ़ महिला है और वह किसी कानूनी जानकार से झूठी कहानी बनाकर प्राथमिकी दर्ज करायी है । उनका यह भी कथन है कि सूचिका विवाहित है और वह 04 बच्चों की मां है तथा उसकी पति भी जीवित है । सूचिका के पति और आवेदक राजस्थान में एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों के बीच पूर्व से ही विवाद है और यह वाद आवेदक से पैसा ऐंठने के लिए दायर किया गया है । उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध बी. एन. एस. की धारा 64 का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । प्राथमिकी में सूचिका के द्वारा आवेदक के विरूद्ध बलात्कार करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जो कि अस्पष्ट है । घटना की कोई तिथि, समय व जगह का जिक्र नहीं किया गया है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है । वह दिनांक 07.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है । अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक तथा सूचिका के निजी विद्वान अधिवक्ता आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं ।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 114/2026

नागेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड सं0 03/2026

अंतर्गत धारा 64, 115(2), 351(2) बी. एन. एस. ।

लगातार

12.03.2026

उभय पक्षों के सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि कांड दैनिकी के पैरा 50 में सूचिका के पति का बयान है, जिसमें उसने कथन किया है कि उसकी शादी इंदू कुमारी (सूचिका/पीड़िता) से 15 वर्ष पूर्व हुई थी और इनको 04 बच्चे भी है । इनकी पत्नी लड़ाई–झगड़ा करके 02 वर्ष पूर्व उसे छोड़कर किसी लड़का के साथ चली गयी थी । वह अपनी पत्नी के साथ दामपत्य जीवन बीताना चाहता है । कांड दैनिकी के पैरा 51 में वादिनी सह पीड़िता इंदू कुमारी का बयान है, जिसमें वह शादी तथा बच्चे होने की बात को स्वीकार की है । उसने यह भी स्वीकार की है कि नागेन्द्र कुमार से उसे मुलाकात हुई और बातचीत होने के क्रम में लगाव हो गया था । इस वाद में जो भी घटना घटी है वह उभय पक्षों की सहमति से हुई है। यह भी विदित होता है कि लिखित आवेदन में सूचिका/पीडिता के द्वारा घटना की तिथि, समय तथा स्थान का उल्ललेख नहीं किया गया है । प्रथम दृष्ट्या आवेदक के विरूद्ध लगाए गए उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 07.01.2026 (लगभग 01 माह) से न्यायिक हिरासत में है ।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थतियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते आवेदक को 10,000/–रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने पर संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
बिहारशरीफ, नालन्दा

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 114/2026

नागेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार

अस्थावां थाना कांड सं0 03/2026

अंतर्गत धारा 64, 115(2), 351(2) बी. एन. एस. ।